



षोडश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-26.11.2019 के लिए मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	<p>श्री समीर कुमार महासेठ, सं०वि०स०</p> <p>श्री फैयाज अहमद, सं०वि०स०</p> <p>श्री राम विचार राय, सं०वि०स०</p> <p>श्री अजीत शर्मा, सं०वि०स०</p> <p>श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, सं०वि०स०</p> <p>श्री बीरेन्द्र कुमार, सं०वि०स०</p> <p>श्रीमती मंगीता देवी, सं०वि०स०</p> <p>श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, सं०वि०स०</p>	<p>एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 तक रहने से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, परन्तु राज्य में खासकर पटना में हवा बुरी तरह प्रदूषित हो गयी है । एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर चला गया है जिससे श्वास संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं । एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने के कई कारणों में मुख्य कारण कचरा की दुर्गंध, वाहनों से धुआ का उत्सर्जन आदि है । राज्य के किसी भी शहर में कूड़ा-कचरा के निष्पादन हेतु कोई संयंत्र नहीं लगा है, जिससे वायु लगातार प्रदूषित हो रही है । वायु प्रदूषण से दमा रोग होने की संभावना 57 प्रतिशत बढ़ जाती है, जबकि टी०बी० और फेफड़े संबंधी रोग होने की संभावना 24 प्रतिशत बढ़ जाती है । इसी तरह से 12 प्रतिशत आँख की बीमारियाँ और 14 प्रतिशत त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है । एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार भारी भरकम खर्च कर रही है वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं करने के कारण यहां के नागरिक विभिन्न प्रकार की बीमारियों की दहलीज पर खड़े हैं ।</p> <p>अतः वायु प्रदूषण पर कारगर नियंत्रण हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।</p>	<p>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन</p>

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री जिवेश कुमार, संवि०स०
 श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, संवि०स०
 श्री बशिष्ठ सिंह, संवि०स०
 श्री सत्यनारायण सिंह, संवि०स०
 श्री प्रकाश राय, संवि०स०
 श्री शत्रुघन तिवारी, संवि०स०

बिहार राज्य के नवप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षित वेतन निर्धारण के लिए उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1900, दिनांक-04.10.2019 द्वारा निर्गत पत्र में विसंगति के कारण वर्ष-2003 से वर्ष-2016 तक नियोजित सभी नवप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन समान हो गया है जबकि शिक्षकों को मिल रहे वेतन के समस्थानिक वेतन देय होना चाहिए।

अतः उक्त वेतन निर्धारण हेतु निर्गत ज्ञापांक-1900, दिनांक-04.10.2019 के कडिका-3 के उपकॉडिका (iv) में अंकित तथ्य "इन्डेक्स 3 से ज्यादा वेतन नहीं होगा", को विलोपित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

शिक्षा

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
 सचिव

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-30/19-389

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 25 नवम्बर, 2019 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 (पाण्डव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-30/19-389

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 25 नवम्बर, 2019 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


 (पाण्डव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।